

संदर्भ: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/ओआरडी/सीएमटी/105/05/2023

Ref: IRDAI/GA&HR/ORD/CMT/105/05/2023

दिनांक/Date: 15.05.2023

**आदेश**  
**ORDER**

वर्तमान में, यूआईडीएआई ढाँचा बीमा कंपनियों को ग्राहक की पहचान, सहमति प्रबंध के साथ उसके आधार का उपयोग करते हुए करने की सुविधा प्रदान करता है। बीमा क्षेत्र में विशिष्ट ग्राहक पहचान के अभाव में ग्राहकों को बीमा क्षेत्र में सम्मिलित करने (आनबोर्डिंग) की सुगमता, एवं संभावित धोखाधड़ियाँ रोकने आदि के अलावा, बीमा कंपनियाँ सेवाएँ उपलब्ध कराते समय और दावों का निपटान करते समय विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही हैं।

Presently, the UIDAI framework allows insurance companies to identify the customer by using his/her Aadhaar with consent management. In the absence of the Unique Customer Identification in the insurance sector, insurance companies are facing various issues while providing the services and claims apart from ease of onboarding the customers, circumventing possible frauds etc.

2. आधार का उपयोग करते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) और संबद्ध विषयों से संबंधित कार्यों को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ एक कार्य-बल का गठन किया गया है:-

In order to facilitate ease of doing KYC and allied matters using Aadhaar, a Task Force has been constituted with the following composition:-

- i) सदस्य (एफ&आई), आईआरडीएआई - अध्यक्ष  
Member (F&I), IRDAI – Chairperson
- ii) सुश्री पी. संगीता, डीडीजी, यूएडीएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद - सदस्य  
Ms. P. Sangeetha, DDG, UIDAI, Regional Office, Hyderabad – Member
- iii) सुश्री विभा पाडलकर, सीईओ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. - सदस्य  
Ms. Vibha Padalkar, CEO, HDFC Life Insurance Company Ltd. – Member
- iv) श्री तपन सिंहल, सीईओ, बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. – सदस्य  
Mr. Tapan Singhal, CEO, Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd.–Member
- v) श्री मयंक बठवाल, सीईओ, आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. – सदस्य  
Mr. Mayank Bathwal, CEO, Aditya Birla Health Insurance Company Ltd.– Member
- vi) कार्यकारी निदेशक (जीवन), आईआरडीएआई – सदस्य  
Executive Director (Life), IRDAI – Member
- vii) मुख्य महाप्रबंधक (स्वास्थ्य), आईआरडीएआई – सदस्य  
Chief General Manager (Health), IRDAI – Member
- viii) मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन), आईआरडीएआई – सदस्य  
Chief General Manager (Non-Life), IRDAI – Member

- ix) मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती), आईआरडीएआई – सदस्य  
Chief General Manager (Intermediaries), IRDAI – Member
- x) महासचिव, जीवन बीमा परिषद – सदस्य  
Secretary General, Life Insurance Council – Member
- xi) महासचिव, साधारण बीमा परिषद - सदस्य  
Secretary General, General Insurance Council – Member
- xii) टीम इंश्योरटेक - संयोजक  
Team InsurTech – Convener

3. समिति के लिए प्रस्तावित विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

The proposed Terms of Reference for the Committee may be as follows:-

- i) आधार का उपयोग करते हुए ग्राहकों के समावेश (आनबोर्डिंग) को सुगम बनाने के लिए उपाय सुझाना।  
Suggest measures for ease of onboarding of customers using Aadhaar.
- ii) आधार का उपयोग करते हुए जोखिम-अंकन और दावे के स्तरों पर धोखाधड़ी के प्रबंध हेतु उपाय सुझाना।  
Suggest measures for fraud management at Underwriting and Claims stages using Aadhaar.
- iii) बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों और एजेंटों द्वारा ई-केवाईसी / आफ़-लाइन केवाईसी को सुगम बनाना।  
Facilitate eKYC / Off-line KYC by Insurers, Intermediaries and Agents.
- iv) पालिसीधारकों की अदावी राशियाँ कम करने के लिए ग्राहकों / लाभार्थियों की अनुमार्गणीयता (ट्रेसबिलिटी) में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना।  
Suggest measures for improving traceability of customers / beneficiaries to reduce unclaimed amounts of policyholders.
- v) आधार का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय मृत्यु रजिस्ट्री तक पहुँचने के लिए बीमाकर्ताओं की सहायता करना।  
Facilitating insurers to access National Death Registry using Aadhaar.
- vi) आधार के साथ आभा आईडी की संबद्धता।  
Linking of ABHA ID with Aadhaar.
- vii) वार्षिकी जीवन प्रमाणपत्र (जीवनप्रमाण) तक पहुँचने के लिए बीमाकर्ताओं की सहायता करना।  
Facilitating insurers to access Annuity Life Certificates (Jeevan Pramaan).
- viii) आधार संख्या को संबद्ध करने के द्वारा (सीकेवाईसी के समान) पालिसीधारकों के बैंक खाता विवरण तक पहुँचने के लिए बीमाकर्ताओं की सहायता करना।  
Facilitating insurers to access Bank Account Details of Policyholders by linking Aadhaar Number (similar to CKYC).
- ix) जहाँ आधार उपलब्ध न हो, वहाँ बीमाकर्ताओं द्वारा “रिवर्स सीडिंग” को सुसाध्य बनाना।  
Facilitating “Reverse Seeding” by insurers where Aadhaar is not available.
- x) आधार भुगतान सेतु के माध्यम से पालिसीधारकों को भुगतान सुगम बनाना।  
Facilitating pay-outs to policyholders through Aadhaar Payment Bridge.

xi) बीमाकर्ताओं द्वारा पालिसीधारकों के आधार के भंडारण को समर्थ बनाने के लिए सुसाध्यकारी उपबंध।

Facilitating provisions for enabling storing of Aadhaar of Policyholders by Insurers

xii) कोई अन्य संबंधित अथवा संबद्ध विषय।

Any other related or allied matters.

4. समिति अपनी रिपोर्ट इस आदेश की तारीख से एक महीने के अंदर प्रस्तुत करेगी।

The Committee shall submit its report within ONE Month from the date of this Order.

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

This has approval of the Competent Authority.



(पी एस जगन्नाथम/ P S Jagannatham)

मुख्य महाप्रबंधक (सा.प्र.&मा.सं.)/ CGM (GA & HR)